न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

दिनांकः– 22/12/2020

न.मु.13 सन् 2019

1. कमलादेवी पत्नी लालाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)

..............वादीनी

बनाम

1. बरजी देवी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
2. भंवरीदेवी पत्नी केसाराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
3. मोहनी देवी पत्नी भुराराम जाति जाट निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बीदासर तहसील बीदासर (चूरू) जरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर (चूरू)
6. उप पंजीयक बीदासर (चूरू)

– प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद घोषणात्मक, व संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन, राजस्व रिकार्ड में संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति कर हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर।</u>

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादीनी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द चौधरी प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से...
3. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 04
4. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 05 वा 06

– : निर्णय :–

दिनांकः–22/12/2020

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नं. 165 तादादी 5.6403 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त खेत खसरा संयुक्त खोतदारी का है जिसमें खेत खसरा संख्या 165 में कमलादेवी पत्नी लालाराम 1/3 हिस्सा , बरजी देवी पत्नी रूपाराम 10/223 हिस्सा, भंवरीदेवी पत्नी केसाराम 1/3 हिस्सा, मोहनी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

देवी पत्नी भुराराम 193/669 हिस्सा खातेदारी वर्तमान में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरे का अभी तक विधीवत रुप से विभाजन नही हुआ है उपरोक्त खसरा में वादीनी कमला देवी व प्रतिवादीगण अपनी आपसी सहमती से मौखीक रुप से कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खेतों का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नही हुआ है। उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का वादीनी कानूनी अधिकार रखती है। प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है ओर उपरोक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी खेत का हस्तान्तरण करना चाहते है। जब प्रतिवादीगणों को विभाजन हेतु कहा गया तो उन्होने विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानियां धमकिया दी कि बिना विभाजन ही अवैध निर्माण, रहन, विकय आदि करने पर आमदा है। जबकि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। वादगत भूमि मे वादीनी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादी सं. 01 ता 3 के मन में लालच आ गया है और वे संयुक्त अविभाजित वादगत भूमि को बिना विधिवत विभाजन के विकय व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण रहन/बन्धक, कुआ खुदवाने निर्माण कार्य करवाने, बैको से ऋण आदि आदि करने पर आमदा है व वादीनी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में वादीनी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 01 ता 3 वादीनी को एलानिया धमकिया दे रहा है कि वादगत भूमि को विकय का सौदा तय कर लिया है। व आपको बेदखल करके रहेगे व सम्पूर्ण भूमि को विकय कर देगे इसलिए वादीनी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादीनी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विकय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय निर्माण आदि आदि ना करे ना ही वादीनी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादीनी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। वादीनी का उतरी पूर्व में 1/3 हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा खेत में आने जाने के लिए रास्ता , मुख्य रास्ते से उपरोक्त खेत के बरजी देवी व मोहनी देवी के भू भाग से होकर उतरी तरफ सींव के पास पास वादीनी के खेत 1/3 हिस्से में जाता है जो करीबन 500 फुट लम्बा तथा 14 फुट चौडा है जो मोहनी देवी के हिस्से भाग में सें है । कमला देवी के पश्चिमी तरफ मोहनी देवी तथा

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना

Scanned by CamScanner

दक्षिणी तरफ भंवरी देवी का हक हिस्सा है । प्रतिवादीगण 01 ता 3 ने दिनांक 15.07.2020 को ऐलानिया धमकियां दी की वादगत भूमि विक्रय, हस्तान्तरण कर देगें व बिना विभाजन के ही निर्माण करवा लेगें वादीनी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि संयुक्त अविभाजित खेत का विभाजन करावा लेवें तो टालमटोल करते रहे दिनांक 20.07.2020 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद हैतुक है। व विधिवत रूप से विभाजन करवाने का वादीनी को कानूनी अधिकार है। वादीनी का अलग हिस्सा कायम करवाना चाहती है वादीनी को वादाधार प्राप्त है। आदि आदि

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 6 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से एडवोकेट अरविन्द चौधरी ने वकालत नामा पेश किया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से इकबाल जबाब दावा मय अतिरिक्त कथन पेश किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादीनी कमला देवी के बयान प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी प्रदर्स पी. 1, गिदावरी प्रदर्स पी. 2 , तथा नक्शा प्रदर्स पी. 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीनी ने कथन किया कि जरिये **इकबाल जबाब दावा मय अतिरिक्त कथन के आधार पर** दावा वादीनी का डिक्री किया जावे तथा घोषित किया जाये कि खेत खसरा नं. 165 तादादी 5.6403 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादीनी का 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उपरोक्त खेत संयुक्त अविभाजित खातेदारी के है। जिनकों वादीनी मौखिक बंटवारें द्वारा उनके हिस्से कब्जे काश्त में चली आ रही वादीनी का उतरी पूर्व में 1/3 हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है भूमि को राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कर वादीनी का हक हिस्सा अलग खाता कायम किया जावें व अलग लगान कायम किया जावें। उपरोक्त आसा–पासा के अनुसार वादीनी के हक हिस्से की भूमि खेतों का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम किया जाये। तथा वादीनी के खेत हिस्सा भाग में आने जाने के लिए रास्ता , मुख्य रास्ते से उपरोक्त खेत के बरजी देवी व मोहनी देवी के भू भाग से होकर उतरी तरफ सींव के पास पास वादीनी के खेत 1/3 हिस्से में जाता है जो करीबन 500 फुट लम्बा तथा 14 फुट चौडा है जो मोहनी देवी के हिस्से भाग में सें है । राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम किया जावें । प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 165 तादादी 5.6403 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जो कि संयुक्त अविभाजित खेत है। बिना विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना वादीनी के हक व हिस्से की भूमि मे से बेदखल ना करे विक्रय हस्तान्तरण ना करे ना ही विक्रय पत्र निष्पादित करे ना ही रहन अडाण गिरवी रखे ना ही कुआं खुदवाये नाही किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य तथा ना ही वादीनी का उपरोक्त आने जाने का रास्ता रोके आदि आदि करे ना ही वादीनी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी स्वयं पैदा करे या अन्य से करायें व ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादीनी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर वादीनी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है और वादीनी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

– : आदेश : –

वादीनी का वाद व प्रतिवादी गण का इकबाल जबाब दावा मय अतिरिक्त कथन के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा नं. 165 तादादी 5.6403 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादीनी का 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उपरोक्त खेत संयुक्त अविभाजित खातेदारी के है। जिनकों वादीनी मौखिक बंटवारें द्वारा उनके हिस्से कब्जे काश्त में चली आ रही वादीनी का उतरी पूर्व में 1/3 हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है भूमि को राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कर वादीनी का हक हिस्सा अलग खाता कायम किया जावें व अलग लगान कायम किया जावें। तथा वादीनी के खेत हिस्सा भाग में आने जाने के लिए रास्ता , मुख्य रास्ते से उपरोक्त खेत के बरजी देवी व मोहनी देवी के भू भाग से होकर उतरी तरफ सींव के पास पास वादीनी के खेत 1/3 हिस्से में जाता है जो करीबन 500 फुट लम्बा तथा 14 फुट चौडा है जो मोहनी देवी के हिस्से भाग में सें है । राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम किया जावें । बैक का रहन पूर्वत रखा जाये । उतरी पूर्व में कमला देवी तथा पश्चिमी तरफ मोहनी देवी व बरजी देवी तथा दक्षिणी तरफ भंवरी देवी का कब्जा काश्त के उपयोग, उपभोग के आधार पर विभाजन कर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाये । प्रतिवादी सं. 05 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। प्रतिवादी संख्या 05 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22/12/2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner